



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 85]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 15, 2013/माघ 26, 1934

No. 85]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 15, 2013/MAGHA 26, 1934

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2013

सा.का.नि. 92(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत खोज खण्ड भी है (वर्ग I और वर्ग II पद) भर्ती नियम, 1967 और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (वर्ग III अनुसूचित्वीय पद) भर्ती नियम, 1968, जहाँ तक उनका संबंध खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूभौतिकी शाखा के समूह 'ख' और समूह 'ग' पदों से है, को उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, का अधिकांश करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भूभौतिकी शाखा समूह 'ख' और समूह 'ग' भर्ती नियम, 2013 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम, इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

8. पदधारी का प्रशिक्षण.—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की पहली नियुक्ति और पश्चात्पूर्व प्रोन्नति जिसमें प्रशासनिक कारणों या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के संगठन की पुनर्संरचना के कारण विधाविशेष या शाखा में पुनर्नियोजन शामिल है, को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित अधिष्ठापन या पुनः प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदसंख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अधयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिये आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1. सहायक भूगोलिकविद्	90*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित अनुसूचितवर्गीय	वेतन बैंड 2, 9300-34800 रु (ग्रेड वेतन 4800 रु)	चयन	6	7
					तीस वर्ष से अधिक नहीं। (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)	आवश्यक अर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भूगोलिक या भूविज्ञान या गणित एक विषय के साथ मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक या संचार में बी.ई. या एएमआईई.
					तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संच लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम परसंग लोक सेवा आयोगा सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधेभर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनिधित्व/आवेदन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आवेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनिधित्व/आवेदन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में लिये परिस्थितियों में संच लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा		
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता: नहीं	9	10	प्रोन्नति : ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूगोलीक) जिनकी वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु.+ ग्रेड वेतन 4800 रु. श्रेणी में दो वर्ष की नियमित सेवा है। टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम होऔर उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, जनवरी,2008 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, निवृत्ति आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की	12	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में) 1. निदेशक (भूगोलीक) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - अध्यक्ष 2. अधीक्षक भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण -सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण -सदस्य	13	संच लोक सेवा आयोग के साथ सीधी भर्ती करते समय परामर्श करना आवश्यक है।

सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी येंड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी येंड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।				
2.उपरोक्त तकनीकी सहायक (भूगोलीय)	50* (2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजकपणित अननुसंधितीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800 रु (येंड वेतन 4600 रु)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं।	आवश्यकअर्हता :
						किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या भूगोलीय या भूविज्ञान या गणित एक विषय के साथ बैचलर डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक या संचार में बी.ई. या एएमआई.।
						टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।)
8 आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता : नहीं	9 सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष	10 पच्चीस प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, पचाहतर प्रतिशत प्रोन्नति भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	11 प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ तकनीकी सहायक (भूगोलीय) जिनकी वेतन बैंड-2 , 9300-34800 रु. से अधिक वेतन 4200 रु. श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है। टिप्पण 1: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उपरत श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 :प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी,2008 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी येंड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	12 समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में) : 1. निदेशक (भूगोलीय), भारतीय भूगोलीय सर्वेक्षण - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष भूगोलीय, भारतीय भूगोलीय सर्वेक्षण - सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूगोलीय सर्वेक्षण - सदस्य	13 संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।	

1	2	3	4	5	6	7	
3.कनिष्ठ तकनीकी सहायक (भूमाँतकी)	80+*(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-2, 9300-34800रु (शेड वेतन 4200 रु)	चयन	तीस वर्ष से अधिक नहीं। (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख, खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आकरकअर्हता: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से भौतिकी या भूमाँतकी या भूविज्ञान या गणित एक विषय के साथ बैचलर डिग्री ; या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 12 वीं (10+2) पास और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक या संचार में न्यूनतम तीन वर्ष का डिप्लोमा टिप्पण1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है । टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	
8	9	10	11			12	13
आयु-नहीं शैक्षिक अर्हता : नहीं	सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष	नब्बे प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, दस प्रतिशत प्रोन्नति भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रोन्नति : ऐसे प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1 (भूमाँतकी) जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + शेड वेतन 2800 रु. श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा है और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा संचालित आवासीय सेवा अवधि में एक वर्ष का वस्तुतः प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने का सर्टिफिकेट रखते हैं। टिप्पण 1- इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को पौषक प्रवर्ग में नियमित आधार पर पद धारण किए हुए प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-1 (भूमाँतकी) को कनिष्ठ तकनीकी सहायक (भूमाँतकी) के पद पर प्रोन्नत करने के लिए पात्रता सेवा पाँच वर्ष की बनी रहेगी। टिप्पण 2: जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हकपात्रता रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हकपात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हकपात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम होऔर उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हकपात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 3 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी,2008 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी शेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।			समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में) : 1. निदेशक (भूमाँतकी), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण -अध्यक्ष 2. अपेक्षक भूवैज्ञानिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

1	2	3	4	5	6	7
4. प्रयोगशाला सहायक श्रेणी - I (भूगोलीय)	17. (2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराज्यपतित अनुसूचितबीय	वेतन बैंड-1, 5200- 20200 रु (गेड वेतन 2800 रु)	अध्ययन	पटवर्ष से अधिक नहीं। (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा आधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्पा जिले के पानी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए शिथिल की गई है।)	आवश्यक अहर्ता : 1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड -A विश्वविद्यालय या संस्थान से विज्ञान समूह में 12वीं या समतुल्य परीक्षा पास और 2) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या संस्था से विज्ञान या प्रौद्योगिकी में कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। वांछनीय : विज्ञान या तकनीकी प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8	9	10	11	12	13
आयु-नहीं शैक्षिक और अन्य अर्हता : नहीं	सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष	पचास प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा, पचास प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति : ऐसे प्रयोगशाला सहायक श्रेणी II (भूगोलीय) जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा है। टिप्पण 1 : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2008 से पहले या उस तारीख से जिससे छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में) 1. अधीक्षण भूगोलीय विद्वत् भारतीय भूगोलीय सर्वेक्षण -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ भूगोलीय विद्वत् भारतीय भूगोलीय सर्वेक्षण -सदस्य 3. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन) भारतीय भूगोलीय सर्वेक्षण -सदस्य	समूह नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
5. प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-II (भूभौतिकी)	18-*(2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनुसूचिवीय	वेतन बैंड-1, 5200- 20200 रु (बेड वेतन 2400 रु)	अवयव	पचवीस वर्ष से अधिक नहीं। (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक अर्हता : 1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से विज्ञान समूह में 12वीं या समतुल्य परीक्षा पास, और, 2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या संस्था से विज्ञान या प्रौद्योगिकी में कम से कम दो वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।
8	9	10	11		12	13
आयु-नहीं शैक्षिक और अन्य अर्हता : नहीं	सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष	शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे प्रयोगशाला सहायक श्रेणी III (भूभौतिकी) जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा है। टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2008 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या सेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।		समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में) : 1. अधीक्षण भूभौतिकविद्, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण -अध्यक्ष 2. ज्येष्ठ भूभौतिकविद् भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण -सदस्य 3. उप निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण -सदस्य	लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6	7
6. प्रयोगशाला सहायक श्रेणी-III (शैक्षणिक)	35* (2013) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'अ' अराज्य प्रित अननुसूचित	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु (वेड वेतन 1900 रु)	अवयव	पच्चीस वर्ष से अधिक नहीं। (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चात्तीस वर्ष तक शिक्षित की जा सकती है।) टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पति जिले तथा चम्पा जिले के पांगी उपखंड अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	आवश्यक अर्हता : 1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से विज्ञान समूह में 12वीं या समतुल्य पास वांछनीय : विज्ञान या तकनीकी प्रयोगशाला में दो वर्ष का अनुभव । टिप्पण 1- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार सिविल की जा सकती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता(अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब सिविल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

8	9	10	11	12	13
आयु-नहीं शैक्षिक और अन्य अर्हता : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से 12 वीं पास या किसी क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से न्यूनतम 2 वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और 10 वीं पास	सीधी भर्ती किए गए व्यक्ति के लिए दो वर्ष	नीचे टिप्पण में यथा वर्णित पचहतर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा प्रोन्नति द्वारा टिप्पण 1 : (i) पंद्रह प्रतिशत विभागीय परीक्षा द्वारा जिसके न हो सकने पर ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता के आधार पर प्रोन्नतिद्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और दस प्रतिशत ज्येष्ठता सह-उपयुक्तता पद्धति से प्रोन्नति द्वारा जिसके न सकने पर सीधी भर्ती सहकार्यद्वारा प्रतिशत परीक्षा कोटे में से पाँच प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा और दस प्रतिशत अर्हक परीक्षा द्वारा भरे जाएंगी। परीक्षा के नियम महाविदेशक, भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।	प्रोन्नति प्रवेश स्तर के समूह 'ग' कर्मचारी अर्थात् बहुकार्य कर्मचारीद्वारा जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु + वेड वेतन 1800 रु. श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड या संस्थान से 12वीं या हायर सेकेंडरी या प्री-यूनिवर्सिटी कोर्स पास है या तकनीकी या विज्ञान क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स रखते हैं और शैक्षिक पास या समतुल्य अर्हता रखते हैं टिप्पण 1: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2008 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी वेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में) : 1. अधीक्षण भौतिकविद्, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - अध्ययन 2. ज्येष्ठ भौतिकविद्, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - सदस्य 3. उप निदेशक (कार्मिक प्रशासन), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण - सदस्य एवं	लगू नहीं होता

[फा. सं. 3/2/2011-एम. II]

एस. बी. डोमेल, उप-सचिव

MINISTRY OF MINES**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th February, 2013

G.S.R. 92(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Geological Survey of India including Exploration Wing (Class I and II posts) Recruitment Rules, 1967 and Geological Survey of India (Class III Non-Ministerial Posts) Recruitment Rules, 1968, in so far as they relate to Group 'B' and Group 'C' posts of Geophysics Stream in the Ministry of Mines, Geological Survey of India, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Mines, Geological Survey of India, Geophysics Stream, Group-'B' and Group 'C', Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale-- The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification- No Person, --

(a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.- Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.- Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

8. Training.- Every appointee on his 1st appointment in Geological Survey of India and subsequent promotion to Gazette posts shall have to successfully complete the induction or re-orientation training conducted by Geological Survey of India Training Institute. This stipulation shall also be applicable in case of officials re-deployed to other discipline or stream on account of administrative reasons or re-structuring of organization of Geological Survey of India etc.

625 GI/13-3

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Assistant Geophysicist	90* *(2013) Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group B Gazetted Non-Ministerial.	Pay Band- 2, Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs.4800)	Selection.	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential: Master's Degree in Physics or Geophysics or Geology or Mathematics from a recognised University or Institute; or BE or AMIE in Electronics or Communication from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether Age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualification: - No.	Two years for direct recruits.	Seventy five percent by direct recruitment, twenty five percent by promotion falling which by direct recruitment.	Promotion: Senior Technical Assistant (Geophysics) in the pay band- 2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs.4600 with two years regular service in the grade. Note 1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation): 1. Director (Geophysics), Geological Survey of India – Chairman 2. Superintending Geologist, Geological Survey of India – Member 3. Joint Director(Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member	Consultation with Union Public Service Commission while making direct recruitment.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. Senior Technical Assistant (Geophysicists)	50* *(2013) Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group B Non-Gazette and Non-Ministerial	Pay Band- 2, Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs.4600)	Selection	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangti Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential: Bachelor Degree with Physics or Geophysics or Geology or Mathematics as a subject from a recognised University or Institute; OR BE or AMIE in Electronics or Communication from a recognised University or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualification : No.	Two years for direct recruits	Twenty percent by recruitment, seventy percent promotion which by direct recruitment.	Promotion: Junior Technical Assistant (Geophysicists) in the pay band- 2, Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200 with five years regular service in the grade. Note 1 :Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation) : 1. Director Geological Survey of India - Chairman 2. Superintending Geologist, Geological Survey of India - Member 3. Joint Director(Personnel and Administration), Geological Survey of India - Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Junior Technical Assistant (Geophysics)	80* (2013) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group B Non-Gazette d. Non-Ministerial.	Pay Band- 2, Rs. 9300-34800 (Grade Pay Rs.4200)	Selection	Not exceeding thirty years. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangl Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential: Bachelor Degree with Physics or Geophysics or Geology or Mathematics as a subject from a recognised University or Institute; OR 12 th Pass (10 + 2) from a recognized Board or Institute and minimum three years Diploma in Electronics or Communication from recognised University or Board or Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age: No Educational Qualification : No.	Two years for direct recruits	Ninety percent by direct recruitment, ten percent by promotion failing which by direct recruitment.	Promotion: Laboratory Assistant Grade-I (Geophysics) in the pay band 1, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2800 with six years regular service in the grade and certificate of successful completion of one year in-service training programme conducted by GSI Training Institute over and above residency period. Note 1: The eligibility service for promotion to the post of Junior Technical Assistant (Geophysics) shall continue to be five years for persons holding the feeder posts of Laboratory Assistant Grade-I (Geophysics) on regular basis on the date of notification of these rules. Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 3: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation): 1. Director (Geophysics), Geological Survey of India - Chairman 2. Superintending Geologist, Geological Survey of India - Member 3. Joint Director(Personnel and Administration), Geological Survey of India - Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

625 GI/13-4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Laboratory Assistant Grade-I (Geophysicist)	17* (2013) Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group C Non-Gazetted Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200-20200 (Grade Pay Rs.2800)	Non-Selection	Not exceeding twenty five years. (Relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangri Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential: i) 12 th pass or equivalent examination in science group from a recognised Board or University or Institution and ii) At least two years Diploma or Certificate course in any Science or Technology from a recognised University or Industrial Training Institute or Institution. Desirable: Two years experience in a Science or Technical Laboratory Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Age - No Educational and other qualification: - No	Two years only in case of direct recruits.	Fifty percent by promotion which by direct recruitment, fifty percent recruitment.	Promotion: Laboratory Assistant Grade-II (Geophysicist) in the pay band -I, Rs.5200-20200 plus grade pay of Rs.2400 with five years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation): 1. Superintending Geophysicist, Geological Survey of India - Chairman 2. Senior Geophysicist, Geological Survey of India - Member 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India - Member	Not Applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5. Laboratory Assistant Grade II (Geophysics)	18* *(2013) Subject to variation in dependent on workload.	General Cent ral Service Group 'C' Non-Gaz etted, Non-Mini sterial.	Pay Band- 1, Rs.5200-20200 (Grade Pay Rs.2400)	Non-Selection.	Not exceeding twenty five years. (Relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential: i) 12 th pass or equivalent examination in science group from a recognised University or Board or Institution and ii) At least two years Diploma or Certificate course in any Science or Technology from a recognised University or Industrial Training Institute. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
(8)	Age: No Educational and other qualification: - No	(9) Two years only in case of direct recruits.	(10) Hundred percent by promotion which by direct recruitment.	(11) Promotion: Laboratory Assistant Grade III (Geophysics) in the pay band- I, Rs.5200-20200 plus Grade Pay of Rs.1900 with eight years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	(12) Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation): 1. Superintending Geophysicist Geological Survey of India - Chairman 2. Senior Geophysicist, Geological Survey of India - Member 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India - Member	(13) Not applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. Laboratory Assistant Grade III (Geophysicists).	35* *(2013)S subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazette, Non-Ministerial.	Pay Band- 1, Rs.5200-20200 (Grade Pay Rs.1900)	Non-Selection	Not exceeding twenty five years. (Relaxable for departmental candidate up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	Essential: 12 th Pass or equivalent in science group from a recognised Board or University or Institution. Desirable: Two years experience in a Science or Technical Laboratory. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Staff Selection Commission or Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
Age: No Educational and other Qualification:- 12 th Std. Pass or minimum two years Diploma or Certificate Course in any field from any recognised University or Institute or Board or Industrial Training Institute and 10 th Std. Pass.	Two years only in case of direct recruits.	Seventy five percent by direct recruitment, twenty five percent by promotion as mentioned under note. Note: (i) fifteen percent through departmental examination failing which by promotion through seniority cum fitness, both failing by direct recruitment and ten percent by promotion through seniority cum fitness method failing which by direct recruitment. (ii) Out of the fifteen percent examination quota, five percent shall be filled by competitive examination and ten percent by qualifying examination. The rules for examination will be notified by the Director General, Geological Survey of India.	Promotion: The entry level group 'C' staff i.e. Multi Tasking Staff, in the pay band-1 plus grade pay of Rs. 1800/- with three years regular service in the grade and 12 th class pass or Higher Secondary or Pre-university course pass or minimum two years Diploma or Certificate Course in science or technical field and possessing Metric Pass or equivalent qualification, from a recognised University or Institution or Board. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for promotion and confirmation): 1. Superintending Geophysicist, Geological Survey of India – Chairman 2. Senior Geophysicist, Geological Survey of India – Member 3. Deputy Director (Personnel and Administration), Geological Survey of India – Member	Not applicable	

[F. No. 3/2/2011-M. II]

S. B. DOVAL, Dy. Secy.